

आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२५-२६  
अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत  
निधी वितरण.  
(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण)

महाराष्ट्र शासन  
आदिवासी विकास विभाग  
शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०२५/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६  
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२  
दिनांक :- २५ सप्टेंबर २०२५.

वाचा :-

- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र. ४४/अर्थ-३, दि. ०७ एप्रिल, २०२५.
- २) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०२/कार्या-६,  
दि.०३.०४.२०२५, दि.२१.०४.२०२५, दि.३०.०४.२०२५, दि.२९.५.२०२५ व दि.२३.०६.२०२५,  
दि.२८.०७.२०२५, दि.११.०८.२०२५ व दि.२०.०८.२०२५.

प्रस्तावना :-

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकान्वये सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित निधीच्या वितरणाबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यानुसार सन २०२५-२६ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२५ अखेर) आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चांतर्गत अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६०% मर्यादेत अर्थसंकल्पित अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर वितरीत केला जाणार आहे.

वित्त विभागाने सन २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षाकरीता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनिवार्य खर्चाच्या व कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींपैकी बाब क्रमांक ०१-वेतन, १०-कंत्राटी सेवा, ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने व ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता ५६ % व बाब क्रमांक ०२-मजुरी, ०३-अतिकालीन भत्ता, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी, ११-प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, २४-पेट्रोल तेल व वंगण व २८-व्यावसायिक सेवा याबाबींकरीता ४५% मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे.

वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने बाब क्रमांक ०१-वेतन, १०-कंत्राटी सेवा, ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने व ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता वितरणासाठी उपलब्ध असणारा उर्वरीत ८ % व बाब क्रमांक ०२-मजुरी, ०३-अतिकालीन भत्ता, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी, ११-प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, २४-पेट्रोल तेल व वंगण व २८-व्यावसायिक सेवा याबाबींकरीता वितरणासाठी उपलब्ध असणारा उर्वरीत १०% मर्यादेतील निधी आदिवासी विकास विभागाच्या **कार्यक्रम खर्चाच्या** योजनांतर्गत संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :-**

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सन २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षाकरीता सोबतच्या **विवरणपत्रातील** रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील विहित तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२५०९२५१७५४५३८२२४ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(प्रविण झा. कोतमे)  
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव.
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव.
३. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
४. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२.
६. सर्व मा.मंत्री आणि मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई.
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२.
८. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई

९. सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
१०. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
११. सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग
१२. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प
१३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर.
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.
१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
१७. कक्ष अधिकारी (कार्या-३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई.
१९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
२०. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

| आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २५ सप्टेंबर, २०२५ सोबतचे विवरणपत्र |   |           |                         |                              |                        |                                    |
|--|---|-----------|-------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| (रु.हजारात)  |   |           |                         |                              |                        |                                    |
| अ. क्र.  | योजनेचे नाव   | लेखाशिर्ष | बाब                     | एकूण अर्थसंकल्पित सन २०२५-२६ | वितरणासाठी उपलब्ध निधी | नियंत्रक अधिकारी                   |
| मागणी क्रमांक टी-४   |   |           |                         |                              |                        |                                    |
| २२५१-सचिवालयीन सामाजिक सेवा  |   |           |                         |                              |                        |                                    |
| ०९०-सचिवालय  |   |           |                         |                              |                        |                                    |
| १  | ई गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी                      | २२५१०८४८  | १०-कंत्राटी सेवा        | १००००.०००                    | ८००.०००                | सह सचिव, आ.वि.वि., मंत्रालय, मुंबई |
|  | एकूण मागणी क्रमांक टी-४                                 |           |                         | १००००.०००                    | ८००.०००                |                                    |
| मागणी क्रमांक-टी-५   |   |           |                         |                              |                        |                                    |
| २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,                     |   |           |                         |                              |                        |                                    |
| ०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण,  |   |           |                         |                              |                        |                                    |
| १  | आदिवासी विकास आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे बळकटीकरण | २२२५१३९३  | ०१-वेतन                 | ७०००००.०००                   | ५५७९०.००               | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक       |
|  |   |           |                         |                              | २१०.००                 | सह सचिव, आ.वि.वि., मंत्रालय, मुंबई |
|  |   |           | एकूण                    |                              | ५६०००.००               |                                    |
|  |   | २२२५१३९३  | ०२-मजुरी                | १.००                         | ०.१०                   | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक       |
|  |   | २२२५१३९३  | ०३-अतिकालीन भत्ता       | ३००.००                       | ३०.००                  |                                    |
|  |   | २२२५१३९३  | ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी | १०००.००                      | १००.००                 |                                    |
|  |   | २२२५१३९३  | १०-कंत्राटी सेवा        | ३००००.०००                    | २४००.०००               |                                    |
|  |   | २२२५१३९३  | ११-प्रवास खर्च          | २०००.००                      | २००.००                 |                                    |
|  |   | २२२५१३९३  | १३-कार्यालयीन खर्च      | ४५०००.००                     | ४५००.००                |                                    |

| आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २५ सप्टेंबर, २०२५ सोबतचे विवरणपत्र<br>(रु.हजारात) |   |           |                                |                              |                        |                              |
|---|---|-----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| अ. क्र.   | योजनेचे नाव   | लेखाशिर्ष | बाब                            | एकूण अर्थसंकल्पित सन २०२५-२६ | वितरणासाठी उपलब्ध निधी | नियंत्रक अधिकारी             |
|   |   | २२२५१३९३  | १४-भाडेपट्टी व कर              | ५०००.००                      | ५००.००                 |                              |
|   |   | २२२५१३९३  | २४-पेट्रोल तेल व वंगण          | ५०००.००                      | ५००.००                 |                              |
|   |   | २२२५१३९३  | २८-व्यावसायिक सेवा             | ५८००.००                      | ५८०.००                 |                              |
|   |   | २२२५१३९३  | एकूण                           | ७९४१०१.००                    | ६४८१०.१०               |                              |
| २   | मोटर चालविण्याचे प्रशिक्षण  | २२२५१५७१  | ३४-शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने | ६०००.००                      | ४८०.०००                | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
| ३   | वैद्यकीय व तत्सम महाविद्यालयांत शिक्षण घेणा-या अ.ज.च्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती | २२२५३५२९  | ३४-शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने | ७०००००.००                    | ५६०००.०००              | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
| ४   | परदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता शैक्षणिक शिष्यवृत्ती                                    | २२२५४०९८  | ३४-शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने | २०००००.००                    | १६०००.०००              | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
| ५   | आदिवासी मुलांसाठी व मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह  | २२२५डी७२५ | ०१-वेतन                        | १५०००००.००                   | १२००००.०००             |                              |
|   |   | २२२५डी७२५ | ०२-मजुरी                       | १.००                         | ०.१०                   |                              |
|   |   | २२२५डी७२५ | ०३-अतिकालीन भत्ता              | १.००                         | ०.१०                   |                              |
|   |   | २२२५डी७२५ | ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी        | १५००००.००                    | १५०००.००               |                              |
|   |   |           |                                |                              |                        | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |

| आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २५ सप्टेंबर, २०२५ सोबतचे विवरणपत्र<br>(रु.हजारात) |                |           |                         |                              |                        |                  |
|---|----------------|-----------|-------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|
| अ. क्र.   | योजनेचे नाव    | लेखाशिर्ष | बाब                     | एकूण अर्थसंकल्पित सन २०२५-२६ | वितरणासाठी उपलब्ध निधी | नियंत्रक अधिकारी |
|   |                | २२२५डी७२५ | १०-कंत्राटी सेवा        | १५००००.०००                   | १२०००.०००              |                  |
|   |                | २२२५डी७२५ | ११-प्रवास खर्च          | १५०००.००                     | १५००.००                |                  |
|   |                | २२२५डी७२५ | १३-कार्यालयीन खर्च      | ८००००.००                     | ८०००.००                |                  |
|   |                | २२२५डी७२५ | १४-भाडेपट्टी व कर       | ५१३०००.००                    | ५१३००.००               |                  |
|   |                | २२२५डी७२५ | २८-व्यावसायिक सेवा      | १.००                         | ०.१०                   |                  |
|   |                | २२२५डी७२५ | एकूण                    | २४०८००३.००                   | २०७८००.३०              |                  |
| ६   | आश्रमशाळा समुह | २२२५डी७३४ | ०१-वेतन                 | १२५०००००.०                   | १००००००.००             |                  |
|   |                | २२२५डी७३४ | ०२-मजुरी                | १.००                         | ०.१०                   |                  |
|   |                | २२२५डी७३४ | ०३-अतिकालीन भत्ता       | १.००                         | ०.१०                   |                  |
|   |                | २२२५डी७३४ | ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी | १६००००.००                    | १६०००.००               |                  |
|   |                | २२२५डी७३४ | १०-कंत्राटी सेवा        | ६०००००.००                    | ४८०००.००               |                  |
|   |                | २२२५डी७३४ | ११-प्रवास खर्च          | २१०००.००                     | २१००.००                |                  |
|   |                | २२२५डी७३४ | १३-कार्यालयीन खर्च      | ७००००.००                     | ७०००.००                |                  |
|   |                | २२२५डी७३४ | १४-भाडेपट्टी व कर       | ७००००.००                     | ७०००.००                |                  |
|   |                | २२२५डी७३४ | २८-व्यावसायिक सेवा      | १.००                         | ०.१०                   |                  |
|   |                | २२२५डी७३४ | एकूण                    | १३४२१००३.०                   | १०८०१००.३०             |                  |

| आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २५ सप्टेंबर, २०२५ सोबतचे विवरणपत्र<br>(रु.हजारात) |   |           |                                |                              |                        |                              |
|---|---|-----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| अ. क्र.   | योजनेचे नाव   | लेखाशिर्ष | बाब                            | एकूण अर्थसंकल्पित सन २०२५-२६ | वितरणासाठी उपलब्ध निधी | नियंत्रक अधिकारी             |
| ७   | शिक्षण फी व परिक्षा फी प्रदाने  | २२२५०९४   | ३४-शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने | १००००००.००                   | ८००००.००               | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
| ८   | व्यावसायिक महाविद्यालयांना संलग्न असलेल्या वसतिगृहातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता | २२२५१११   | ३४-शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने | ५०००.००                      | ४००.००                 | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
| ९   | अनुदानीत आश्रमशाळा चालविण्यासाठी सहाय्यक अनुदाने  | २२२५१२९   | ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन)      | १५००००००.००                  | १२०००००.००             | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
|   | एकूण मागणी क्रमांक टी-५   |           |                                | ३३५३४१०७.००                  | २७०५५९०.७०             |                              |
|   | एकूण कार्यक्रम खर्च (टी-४ व टी-५)   |           |                                | ३३५४४१०७.००                  | २७०६३९०.७०             |                              |